

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 333/2020

दायर दिनांक 30.12.2020

वादी	प्रतिवादीगण
<p>1. दुर्गाराम पुत्र स्व. नाथूराम जाति मेघवाल उम्र 50 वर्ष निवासी दयालपुरा, तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।</p>	<p>1. तिलोकाराम पुत्र स्व. नाथूराम उम्र 58 वर्ष 2. मोहनीदेवी पुत्री स्व. चुकीदेवी उम्र 57 वर्ष 3. ग्यारसीदेवी पुत्री स्व. चुकीदेवी उम्र 54 वर्ष 4. गीतादेवी पुत्री स्व. चुकीदेवी उम्र 48 वर्ष 5. सन्तोषदेवी पुत्री स्व. चुकीदेवी उम्र 44 वर्ष 6. हेमाराम पुत्र स्व. नारायणराम उम्र 35 वर्ष 7. भागोतीदेवी पुत्री स्व. नारायणराम उम्र 45वर्ष 8. तीजूदेवी पुत्री स्व. नारायणराम उम्र 40 वर्ष समस्त जाति मेघवाल निवासी दयालपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 9. गणपतिदेवी पत्नि घासीराम जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज0। 10. तहसीलदार डीडवाना।</p>
बनाम्	

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री हरदीनराम जाखड़ वकील वादी।
2. श्री दानाराम भाटी वकील प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 06.08.2021

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद दयालपुरा के खेत ख0सं0 59 बीघा 05 बिस्वा वादी व प्रतिवादी संख्या एक तिलोकाराम व प्रतिवादीगण 01 ता 05 की माता स्व. चुकीदेवी तथा प्रतिवादी संख्या 06 ता 08 के पिता स्व. नारायणराम की संयुक्त खातेदारी में दर्ज था।

यह है कि वादी व प्रतिवादी संख्या एक व स्व. चुकीदेवी तथा स्व. नारायणराम ने उक्त खेत पुराने ख0सं0 266 रकबा 59 बीघा 05 बिस्वा का आपसी बन्टवारा तहसीलदार डीडवाना के आदेश क्रमांक/ज.चे.एव. कि महोदय केम्प दयालपुरा एस.पी.ई.आई. दिनांक 30.05.2006 की पालना में नामान्तरकरण सं. 528 के द्वारा बंटवारा करके अलग-अलग खातेदारी दर्ज कर दी गई। माफीक बन्टवारा वादी दुर्गाराम के ख0सं0 266 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या एक तिलोकाराम के ख0सं0 714/266 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा, स्व. चुकीदेवी के ख0सं0 715/266 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा, तथा स्व. नारायणराम के ख0सं0 716/266 रकबा 29 बीघा 13 बिस्वा दर्ज किया जाकर नक्शा ट्रेस में भी सही दर्शाया गया, जो अनुसूची "अ" है।

यह है कि खेत ख0सं0 266, 714/266, 715/266, 716/266, 719/266 की स्थिति राजस्व नक्शे में अनुसूची "अ" के अनुसार सही दर्ज है तथा खातेदारी भी सही दर्ज है मगर नवीन भू-बन्दोबस्त के नये ख0सं0 362, 363, 365, 366, 367, 368, 369 व 353 की स्थिति अनुसूची "अ" के विपरित जमाबन्दी व राजस्व नक्शे में अनुसूची "ब" के अनुसार वास्तविकता के विपरित गलत दर्ज कर दी गई तथा खोतदारी में रकबा भी गलत दर्ज कर दिया गया।

यह है कि मौजा दयालपुरा के नवीन भू-बन्दोबस्त के वर्तमान ख0सं0 362 रकबा 0.06 हैक्टर, ख0सं0 363 रकबा 0.08 हैक्टर, ख0सं0 365



सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

रकबा 1.46 हैक्टर, ख0सं0 366 रकबा 0.75 हैक्टर, ख0सं0 367 रकबा 1.60 हैक्टर, ख0सं0 368 रकबा 0.95 हैक्टर, ख0सं0 369 रकबा 3.85 हैक्टर तथा ख0सं0 353 रकबा 0.81 हैक्टर पर वादी व प्रतिवादी पूर्व से ही अपने-अपने हक व हिस्सा अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। खातेदार चुकीदेवी व नारायणराम का स्वर्गवास हो गया है। जिनका नाम अभी खातेदारी में दर्ज है मगर उनके खातेदारी की जमीन पर उनके वारिसान काबिज चले आ रहे हैं। वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण आपसी बन्तवारा अनुसार अनुसूची "द" के अनुसार अपने हक व हिस् पर काबिज चले आ रहे हैं।

यह है कि वर्तमान में अनुसूची "द" के अनुसार वादी दुर्गाराम के ख0सं0 362 रकबा 0.06 हैक्टर, ख0सं0 363 रकबा 0.08 हैक्टर, ख0सं0 365 रकबा 1.46 हैक्टर तथा ख0सं0 366 रकबा 0.75 हैक्टर कुल रकबा 2.35 बन्त व कब्जा काश्त में चला आ रहा है।

तथा प्रतिवादी संख्या एक तिलोकाराम के ख0सं0 367 रकबा 1.80 हैक्टर व ख0सं0 368 रकबा 0.95 हैक्टर में से 0.80 हैक्टर पश्चिमी हिस्सा कुल रकबा 2.40 हैक्टर बन्त व कब्जा काश्त में चला आ रहा है।

तथा प्रतिवादी संख्या 06 हेमाराम के ख0सं0 353 रकबा 0.81 हैक्टर में से 0.40 हैक्टर, उत्तरी हिस्सा, ख0सं0 368 रकबा 0.95 हैक्टर, में से 0.15 हैक्टर पूर्वी हिस्सा व ख0सं0 369 रकबा 3.85 हैक्टर में से 3.45 हैक्टर उत्तरी-पश्चिमी हिस्सा बन्त व कब्जा काश्त में चला आ रहा है।


तथा प्रतिवादी संख्या 09 गणपतिदेवी के ख0सं0 353 रकबा 0.81 हैक्टर में से 0.41 हैक्टर, दक्षिणी हिस्सा व ख0सं0 369 रकबा 3.85 हैक्टर में से 0.40 हैक्टर दक्षिणी-पूर्वी हिस्सा बंट व कब्जा काश्त में चला आ रहा है। अनुसूची "द" दावा के साथ पेश है।

यह है कि प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 वादी व प्रतिवादी संख्या एक की सगी बहिने है एवं स्व. चूकीदेवी की पुत्रियां है जो शादी शुदा है तथा अपने-अपने ससूराल रहती है। तथा अपनी माता चूकीदेवी की खातेदारी की जमीन में अपना हिस्सा अपने भाई वादी व प्रतिवादी संख्या एक के हक में तर्क करती है इसलिए स्व. चूकादेवी की खातेदारी की जमीन पर वादी व प्रतिवादी संख्या एक का ही कब्जा काश्त है।

यह है कि प्रतिवादी संख्या 07 व 08 स्व. नारायणराम की पुत्रियां व प्रतिवादी संख्या 06 की सगी बहिने है। प्रतिवादी संख्या 07 व 08 ने स्व. नारायणराम की खातेदारी की जमीन में से अपना हिस्सा अपने भाई प्रतिवादी संख्या 06 के हक में तर्क कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 07 व 08 शादी शुदा है। तथा अपने-अपने ससूराल रहती है। प्रतिवादी संख्या 07 व 08 ने स्व. नारायणराम की जमीन में कभी काश्त नहीं की है। स्व. नारायणराम की जमीन पर प्रतिवादी संख्या 06 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है।

यह है कि प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है -

- (क) कि गौजा दयालपुरा के वर्तमान खेत ख0सं0 362 रकबा 0.6 हैक्टर, ख0सं0 363 रकबा 0.08 हैक्टर, ख0सं0 365 रकबा 1.46 हैक्टर तथा ख0सं0 366 रकबा 0.75 हैक्टर कुल रकबा 2.35 हैक्टर का वादी को खातेदार घोषित किया जायें व इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती फरमाई जायें।
- (ख) कि गौजा दयालपुरा के वर्तमान खेत ख0सं0 367 रकबा 1.60 हैक्टर व ख0सं0 368 रकबा 0.95 हैक्टर में से 0.80 हैक्टर पश्चिमी हिस्सा कुल रकबा 2.40 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या एक तिलोकाराम को खातेदार घोषित किया जायें व इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती फरमाई जायें।
- (ग) कि गौजा दयालपुरा के वर्तमान खेत ख0सं0 353 रकबा 0.81 हैक्टर में से 0.40 हैक्टर उत्तरी हिस्सा, ख0सं0 368 रकबा 0.95 हैक्टर में से 0.15


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

हैक्टर पूर्वी हिस्सा व ख०सं० 369 रकबा 3.85 हैक्टर में से 3.45 हैक्टर उत्तरी-पश्चिमी हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 06 हेमाराम को खातेदार घोषित किया जावे व इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती फरमाई जावे।

- (घ) कि मौजा दयालपुरा के वर्तमान खेत ख०सं० 353 रकबा 0.81 हैक्टर में से 0.41 हैक्टर दक्षिणी हिस्सा व ख०सं० 369 रकबा 3.85 हैक्टर में से 0.40 हैक्टर दक्षिणी-पूर्वी हिस्सा प्रतिवादी संख्या 09 गणपतिदेवी को खातेदार घोषित किया जावे व इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती फरमाई जावे।
- (ङ) कि मौजा दयालपुरा के वर्तमान खेत ख०सं० 362 रकबा 0.06 हैक्टर, ख०सं० 363 रकबा 0.08 हैक्टर, ख०सं० 365 रकबा 1.46 हैक्टर, ख०सं० 366 रकबा 0.75 हैक्टर, ख०सं० 367 रकबा 1.60 हैक्टर, ख०सं० 368 रकबा 0.95 हैक्टर, ख०सं० 369 रकबा 3.85 हैक्टर का दावा के फिकरा नम्बर 09 व अनुसूची "द" के अनुसाद वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 06, 09 के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कानूनी बन्तवारा किया जावे।

यह है कि साक्ष्य वादी का शपथ पत्र पेश हुआ व वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 5, व 7, 8 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा व नजरी नक्शे अनुसार वर्तमान खेत ख०सं० 362 रकबा 0.06 हैक्टर, ख०सं० 363 रकबा 0.08 हैक्टर, ख०सं० 365 रकबा 1.46 हैक्टर, ख०सं० 366 रकबा 0.75 हैक्टर, ख०सं० 367 रकबा 1.60 हैक्टर, ख०सं० 368 रकबा 0.95 हैक्टर, ख०सं० 369 रकबा 3.85 हैक्टर ग्राम दयालपुरा में सभी पक्षकारान ने आपसी सहमति व स्वेच्छा से उक्त राजीनामा किया है।

रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्कों पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः हस्व दावा जरिये राजीनामा स्वीकार कर मौजा दयालपुरा के वर्तमान खेत ख०सं० 362 रकबा 0.06 हैक्टर, ख०सं० 363 रकबा 0.08 हैक्टर, ख०सं० 365 रकबा 1.46 हैक्टर, ख०सं० 366 रकबा 0.75 हैक्टर, ख०सं० 367 रकबा 1.60 हैक्टर, ख०सं० 368 रकबा 0.95 हैक्टर, ख०सं० 369 रकबा 3.85 हैक्टर के वाद में पेश राजीनामा व नजरी नक्शे अनुसार बंटवारा कर पक्षकारान की अलग-अलग खातेदारी घोषित की जाती है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।


(मार्तिकीय मीणो)टर
डीडव R.A.S. नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 06.08.2021 को सरे इजलास में सुनाया गया।


(मार्तिकीय मीणो)टर
डीडव R.A.S. नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 333/2020

दायर दिनांक 30.12.2020

वादी	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. दुर्गाराम पुत्र स्व. नाथूराम जाति मेघवाल उम्र 50 वर्ष निवासी दयालपुरा, तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. तिलोकाराम पुत्र स्व. नाथूराम उम्र 58 वर्ष 2. मोहनीदेवी पुत्री स्व. चुकीदेवी उम्र 57 वर्ष 3. ग्यारसीदेवी पुत्री स्व. चुकीदेवी उम्र 54 वर्ष 4. गीतादेवी पुत्री स्व. चुकीदेवी उम्र 48 वर्ष 5. सन्तोषदेवी पुत्री स्व. चुकीदेवी उम्र 44 वर्ष 6. हेमाराम पुत्र स्व. नारायणराम उम्र 35 वर्ष 7. भागोतीदेवी पुत्री स्व. नारायणराम उम्र 45वर्ष 8. तीजूदेवी पुत्री स्व. नारायणराम उम्र 40 वर्ष समस्त जाति मेघवाल निवासी दयालपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 9. गणपतिदेवी पत्नि घासीराम जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज0। 10. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत
घोषणा, रेकर्ड दुरुस्ती एवं रेकर्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनांक 06.08.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हरदीनराम जाखड़ वकील वादी व श्री दानाराम भाटी वकील प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, जरिये राजीनामा दावा स्वीकार कर मौजा दयालपुरा के वर्तमान खेत ख0सं0 362 रकबा 0.06 हैक्टर, ख0सं0 363 रकबा 0.08 हैक्टर, ख0सं0 365 रकबा 1.46 हैक्टर, ख0सं0 366 रकबा 0.75 हैक्टर, ख0सं0 367 रकबा 1.60 हैक्टर, ख0सं0 368 रकबा 0.95 हैक्टर, ख0सं0 369 रकबा 3.85 हैक्टर के वाद में पेश राजीनामा व नजरी नक्शे अनुसार बंटवारा कर पक्षकारान की अलग-अलग खातेदारी घोषित की जाती है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.08.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(नागौर)